17/7/25

पत्रा० पेश हुई। कोई भी उप० नहीं हुआ। मूल दावा अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जा चुका है। अतः, प्रा० पत्र 212 RTA को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रा० पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० कैसल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:07:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner